"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2002—कार्तिक 10, शक 1924

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4390.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व, संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (2) सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) की कण्डिका (उन्नीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वर्तमान नियमों में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियम (4) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए, अर्थात् :—

"और वह किसी प्रार्थी को जिसका नाम उनमें अभिलिखित है यदि आवश्यक हो प्रार्थी द्वारा इस प्रयोजन के लिये कागज की व्यवस्था की जाने पर उस (अभिलेख) के किसी भाग के उद्धरण (सार) को, जो प्रत्यक्ष रूप से उसके अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला हो, देगा."

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. 4390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xix) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (2) of Section 104 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government hereby makes the following amendments in the existing rules :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule (4) of the rules framed under sub-section (2) of Section 104 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 the following words shall be omitted, namely :—

"and he shall, if required, give an extract of any portion directly affecting his rights to any applicant whose name is there in recorded, on being provided by the applicant with paper for the purpose".

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4390.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व, संहिता 1959 की धारा 256 की सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) की कण्डिका (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा वर्तमान नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उप नियमों में,—

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 256 के अधीन बनाए गये नियम 56 (क) में शब्द "रुपए 10.00" के स्थान पर "रुपए 15.00" स्थापित किया जाए.

2. उक्त नियमों में,—

उक्त अधिनियम की धारा 256 के अधीन बनाए गये नियमों के नियम 65 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्त: स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा इन नियमों के अंतर्गत अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का प्रदाय किये जाने हेतु किसी संस्था, व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किए जाने की दशा में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा प्रतिलिपिकरण की फीस की रकम कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में चस्पा किए जाने, प्राप्त राशि के निक्षेप तथा लेखा संबंधी नियम से छूट प्रदान करते हुए ऐसी प्रक्रिया का पालन करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए."

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. 4390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (lxix) of sub-section (2) of Section 258 read with section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government hereby makes the following amendments, in the existing rules :—

AMENDMENT

1. In the said rules,—

For rule 56 (a) of the rules framed under Section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 for the figures "Rs. 10.00, Rs. 15.00" shall be substituted.

2. In the said rules,—

After rule 65 of the rules framed under Section 256 of the said Act, the following words shall be inserted, namely:—

"However, Commissioner, Land Records & Settlement in cases where any institution, person/persons are authorised to issue computerised copies may by a general or special order issue such directions relaxing rules regarding affixation of copying fee in the form of court fee stamps, deposit and accounting of amount of copying fee and follow such procedure as may be prescribed."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.